

53/2024

सावित्री पुत्री चन्द्रराम पत्नी धर्मपाल जाति धानक निवासी भोजासर हाल निवासी
वार्ड नं० 11 भादरा तहसील भादरा।
:- प्रार्थीया

वनाम्

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:- अप्रार्थी



प्रार्थनापत्र रिकॉर्डदुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 136 लैण्डरैवेन्यु एक्ट
उपरिस्थिति :- श्री राजेन्द्र गोयल प्रार्थी
राजपैरोकार अप्रार्थी
दिनांक:

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 6 बारानी पटवार हल्का
के खाता सं० 39/34 के मु० न० 52 के किला न० 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7, 8,
मु० न० 75 के किला न० 11/1, 12/1, 13/1, 14/2, 14/3, 17/1, 17/2, 18,
21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2 कुल रकबा 3.6310 है० मय रास्ता में
शान्ति पुत्री चन्द्रराम के नाम 1/6 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के
सावित्री के स्थान पर पर अशुद्ध नाम शांति पुत्री चन्द्रराम दर्ज है।

प्रार्थी के जिनके सभी दस्तावेजों आधार कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र, बैंक पास
बुक एवं अन्य दस्तावेजों में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम सावित्री दर्ज है। इस प्रकार
राजस्व रिकॉर्ड में गलत दर्ज होने से प्रार्थीया अपनी खातेदारी भूमि का सही
रूप से उपयोग-उपभोग नहीं कर पा रहा है। अतः प्रार्थीया राजस्व रिकॉर्ड में उक्त नाम की
दुरुस्ती करवा पाने के कानूनी अधिकारी है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब
करा गया। सम्मन तामिल होने के बाद राजपैराकार तहसीलदार भादरा ने अपना जवाब पेश
किया।

वहस वकील प्रार्थी सुनी गई। दौराने वहस वकील प्रार्थी ने कथन किया कि रोही
मौजा 6 बारानी पटवार हल्का भोजासर के खाता सं० 39/34 के मु० न० 52 के किला न०
3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7, 8, 13, 14, मु० न० 75 के किला न० 11/1, 12/1, 13/1,
14/2, 14/3, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2
कुल रकबा 3.6310 है० मय रास्ता में शांति पुत्री चन्द्रराम के नाम 1/6 हिस्सा कृषि भूमि
राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम सावित्री के स्थान पर पर अशुद्ध नाम
शांति पुत्री चन्द्रराम दर्ज है, अतः प्रार्थी का अशुद्ध नाम शांति पुत्री चन्द्रराम के स्थान पर
प्रार्थीया का सही नाम सावित्री पुत्री चन्द्रराम दर्ज किया जावे ताकि प्रार्थीया अपनी वास्तविक
रूप से सही उपयोग उपभोग कर सके।



हमारे द्वारा अभिभाषकगण की वहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत
दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सभी दस्तावेजात तथा तहसीलदार
भादरा से प्राप्त रिपोर्ट के मुताबिक प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार
किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट रवीकार किया जाकर तहसीलदार को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा 6 यारानी पटवार हल्का भोजासर के गाँव सं० 39/34 के मु० न० 52 के किला न० 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 7, 8, 13, 14, मु० न० 75 के किला न० 11/1, 12/1, 13/1, 14/2, 14/3, 17/1, 17/2, 18, 19, 20, 21/1, 21/2, 22/1, 22/2, 24/1, 24/2 कुल रकबा 3.6310 है० मय रास्ता में शांति पुत्री चन्द्रराम के नाम 1/6 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसमें प्रार्थी के सही नाम शांति पुत्री चन्द्रराम के स्थान पर पर अशुद्ध नाम शांति पुत्री चन्द्रराम दर्ज है उक्त राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थीया का नाम शांति पुत्री चन्द्रराम की जगह सही नाम सावित्री पुत्री चन्द्रराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे एवं यदि कृषि भूमि बैंक रहन हो तो न मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। तथा यदि किसी संस्था, किसी न्यायालय आदि में कोई मुकदमा अथवा कोई वकाया देय आदि शांति पुत्री चन्द्रराम के नाम से हो तो उसके लिए पूर्व नाम शांति पुत्री चन्द्रराम ही लागू होगा।

निर्णय आज दिनांक 13/6/25 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में दायर किया गया।



(कल्पित शिवरान)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
मद्रास जिला हनुमानगढ़